संख्या- 5/2016/337/सत्रह-म-2016, 11-1-अ(4)/06

प्रेषक,

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 फरवरी 2016

विषय अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक् 2405- मछली पालन आयोजनेत्तर, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 10/ ले0शा0/ बजट/ 2015-16 दिनांक 11-02-2016 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या –17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन आयोजनेत्तर 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता की मानक मद 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में रू0 50000 हजार का बजट में प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष्य 19 जनपदों में कार्यरत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के कार्मिकों को वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रू0 459.407 लाख तथा 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 20 लाख में से रू0 10 लाख कुल धनराशि रू0 469.407 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 11/2015/691/ सत्रह-म-2015 11-1-अ(4)/06 दिनांक 01-06-2015 द्वारा निर्गत की गयी। तत्पश्चात़ 19 मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त् कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के कारण वेतन एवं एरियर का लाभ दिये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 40.593 लाख में से रू0 33.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-22/2015/1375/सत्रह-म-2015 11-1-अ(4)/06 दिनांक 18-09-2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- अत: मत्स्य पालक विकास अभिकरण फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं गोण्डा के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के मानक मद 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) की अवशेष धनराशि रू0 7.023 लाख(सात लाख दो हजार तीन सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- शासनादेश संख्या 11/2015/691/ सत्रह-म-2015 11-1-अ(4)/06 दिनांक 01-06-2015 में दी गयी शर्तें यथावत लागू रहेगीं ।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक- 2405 मछली पालन -आयोजनेत्तर,की योजना 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं, 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सहायता (के075/रा025, के0 रा0) की मानक मद 31- सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

5 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या १६८५/दस -१९९२ दिनांक १७-०७-१९९२ में प्रदत्त अधिकारों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या २/२०१५/बी-१-९२५-दस/२०१५-२३१/२०१५ दिनांक ३० मार्च, २०१५ के अनुसार जारी किये जा रहें है ।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या /2016/337 **-म-सत्रह/**2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3 सम्बधित कोषाधिकारी ।
4 वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय ।
5 वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2, वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**